

न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश, गोहद जिला भिण्ड (म0प्र0)

पीठासीन अधिकारी- वीरेन्द्र सिंह राजपूत
आप0 पुनरीक्षण याचिका क्रमांक-32/2017
संस्थापन दिनांक-12.04.17

रामलखन श्रोती पुत्र निरंजन प्रसाद श्रोती, उम्र 40 वर्ष, निवासी वार्ड क्र. 2 ईदगाह के पीछे गोहद, जिला भिण्ड (म0प्र0)

-पुनरीक्षणकर्ता/आवेदक

विरुद्ध

म0प्र0 राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र गोहद, जिला भिण्ड म0प्र0

प्रतिपुनरीक्षणकर्ता/अनावेदक

पुनरीक्षणकर्ता द्वारा श्री ए0बी0 पाराशर अधिवक्ता प्रत्यर्थी द्वारा श्री दीवानसिंह गुर्जर अपर लोक अभियोजक।

आदेश

(आज दिनांक 25/05/2017 को पारित किया गया)

01. पुनरीक्षणकर्ता की ओर से यह पुनरीक्षण याचिका न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गोहद, सुश्री प्रतिष्ठा अवस्थी, द्वारा न्यायालय में संचालित प्रकरण क्रमांक 526/15 ई0फौ0 शासन गोहद वि0 रामलखन में जप्तशुदा 12 बोर बंदूक व कारतूस के संबंध में प्रस्तुत सुपुर्दगी आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 451 जा0फौ0 दिनांक 16.01.17 को निरस्त किया गया है, से व्यथित होकर प्रस्तुत की है।
02. आवेदक की ओर से प्रस्तुत वर्तमान याचिका संक्षेप में प्रकरण इस प्रकार है कि आवेदक निगरानीकर्ता/आवेदक के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में संचालित प्रकरण में जप्तशुदा 12 बोर बंदूक व कारतूस को सुपुर्दगी में लिए जाने बावत् आवेदनपत्र प्रस्तुत किया

था, जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने बिना किसी उचित कारण के दिनांक 16.01.2017 को आलोच्य आदेश पारित कर उक्त आवेदनपत्र निरस्त किया है, जिससे व्यथित होकर यह दांडिक पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई है।

03. पुनरीक्षणकर्ता द्वारा आलोच्य आदेश विधि एवं तथ्यों के विपरीत होना व्यक्त करते हुए अभिकथित किया है कि उक्त बंदूक से कोई कृत्य भी नहीं किया गया है। आवेदक के पास उक्त बंदूक का वैध लाइसेंस है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिया गया निष्कर्ष तथ्य एवं विधि के विपरीत होने से आलोच्य आदेश अपास्त कर पुनरीक्षणकर्ता/सुपुर्दगीदार को उक्त बंदूक मय राउण्ड के सुपुर्दगी में दिये जाने की प्रार्थना की गई है।

04. राज्य की ओर से अपर लोक अभियोजक ने आलोच्य आदेश विधि एवं तथ्यों के अनुरूप होना दर्शाते हुये पुनरीक्षणकर्ता की पुनरीक्षण याचिका सारहीन होने से निरस्त किये जाने की प्रार्थना की।

05. पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री ए.बी.पारासर एवं प्रत्यर्थी के विद्वान अपर लोक अभियोजक श्री दीवानसिंह गुर्जर को सुना गया। पुनरीक्षण पत्रावली एवं अधीनस्थ न्यायालय के आपराधिक प्रकरण क्र० 526/15 शासन विरुद्ध रामलखन का अवलोकन किया गया।

06. वर्तमान याचिका के निराकरण के लिये निम्न विचारणीय प्रश्न है :-

01.	क्या अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आपराधिक प्रकरण क्र० 526/15 (शासन विरुद्ध रामलखन) में पारित आदेश दिनांक 16.01.2017 पारित करने में विधि एवं तथ्य संबंधी ऐसी गंभीर त्रुटि की है, जो शुद्धता, वैधता, औचित्य एवं अधिकारिता के आधार पर पुनरीक्षण शक्तियों के अधीन हस्तक्षेप योग्य है?
-----	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II. सकारण निष्कर्ष II

07. पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने इन तर्कों पर अत्यधिक बल दिया है कि विचारण न्यायालय ने आलोच्य आदेश पारित करते समय पुनरीक्षणकर्ता को बंदूक का लाइसेंस

प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया है और बगैर अवसर दिए पुनरीक्षणकर्ता का सुपुर्दगी संबंधी आवेदनपत्र निरस्त कर दिया है।

08. प्रकरण का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के विद्वान पीठासीन अधिकारी ने पुनरीक्षणकर्ता की ओर से प्रस्तुत आवेदन इस आधार पर निरस्त किया है कि प्रकरण में बंदूक मय लाइसेंस के जप्त होने का उल्लेख नहीं है, किन्तु पुनरीक्षणकर्ता ने बंदूक का लाइसेंस प्रस्तुत नहीं किया है। आवेदक द्वारा पूर्व में भी सुपुर्दगी पर लिए जाने का आवेदनपत्र प्रस्तुत किया गया था जिसे निरस्त कर दिया गया था और इसी आधार पर आलौच्य आदेश द्वारा पुनरीक्षणकर्ता का आवेदनपत्र निरस्त किया है।

09. प्रकरण का अवलोकन किया गया। प्रकरण में फरियादी पक्ष की ओर से यह आरोप लगाया है कि आरोपीगण इकट्ठे होकर बंदूक लेकर घर के अंदर घुस आए और गाली गलोज व झूमा झपटी करने लगे। हालांकि प्रथम सूचना रिपोर्ट में बंदूक के प्रयोग का उल्लेख नहीं है। फरियादी ने अपने न्यायालयीन कथनों में भी अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया है, किन्तु यदि प्रकरण का अवलोकन किया जावे तो प्रकरण में पुनरीक्षणकर्ता रामलखन बंदूक के लाइसेंस की फोटोप्रति संलग्न है, जिसका कोई उल्लेख आलौच्य आदेश में नहीं है। विचारण न्यायालय ने अपने आलौच्य आदेश में पूर्व में भी बंदूक को सुपुर्दगी में लेने संबंधी आवेदन खारिज करने संबंधी उल्लेख किया है, किन्तु किस दिनांक को आवेदन खारिज किया गया इसका उल्लेख नहीं है और न ही सम्पूर्ण आदेश पत्रिकाओं से दर्शित होता है कि किस दिनांक को पुनरीक्षणकर्ता की ओर से आवेदनपत्र प्रस्तुत किया गया था तथा किस दिनांक को और किन आधारों पर आवेदनपत्र निरस्त किया गया। अतः उक्त परिस्थितियों को देखते हुए आवेदनपत्र का पुनः सम्पूर्ण तथ्यों के अवलोकन के पश्चात् निराकरण किया जाना उचित प्रतीत होता है।

10. अतः अधीनस्थ न्यायालय का आलौच्य आदेश दिनांक 16.01.2017 अपास्त किया जाता है और अधीनस्थ न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि उक्त सम्पूर्ण तथ्यों

पर विचार कर पुनरीक्षणकर्ता की ओर से प्रस्तुत लाइसेंस की प्रति को विचार में लेकर पुनः योग्य आदेश पारित करे।

11. उक्त निर्देश के साथ वर्तमान याचिका का निराकरण किया जाता है।
12. आदेश की प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख अविलंब लौटाया जाये।

आदेश खुले न्यायालय में पारित

मेरे निर्देश पर टंकित किया गया।

(वीरेन्द्र सिंह राजपूत)
अपर सत्र न्यायाधीश, गोहद
जिला भिण्ड (म0प्र0)

(वीरेन्द्र सिंह राजपूत)
अपर सत्र न्यायाधीश, गोहद
जिला भिण्ड (म0प्र0)

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)